

## हर्षकालीन शासन व्यवस्था (606 ई.-647 ई.): एक अध्ययन

**Dr. Sanu Saran**

Assistant Professor

Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu, Rajasthan, India

**सार:** हर्ष के समय की शासन व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित कादंबरी तथा चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से प्राप्त होती है। हर्ष ने अपने साम्राज्य का प्रशासन गुप्त वंश के प्रशासन के ढर्रे पर ही किया था। हर्ष ने गुप्तकालिन शासन पद्धति में ही कुछ परिवर्तन कर अपनाया था राजा के अधीन कर्मचारियों अथवा मंत्रियों के नाम भी गुप्त काल के अनुसार ही थे। हर्ष तथा गुप्त वंश के प्रशासन में केवल इतना ही अंतर था कि हर्ष का प्रशासन अधिक सामांतिक और विकेंद्रित था। हर्ष का मुख्य उद्देश्य प्रजा को प्रसन्न और सुखी देखना था। कादंबरी तथा हर्षचरित में भी हर्ष को प्रजा रक्षक कहा गया है।

**शब्द संकेत:** महासम्मेलन, भुक्ति, महासंधिविग्राहिक, महाबलाधिकृत, रणभांडाग्राधीकरण

### प्रस्तावना:

गुप्त साम्राज्य के बाद हुए राजनीतिक विखंडन को समाप्त कर हर्ष ने उत्तरी भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा राज्य की स्थिति काफी संकटपूर्ण थी। गौड़ नरेश शशांक ने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया था तथा मालवा शासक देव गुप्त ने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा का वध कर दिया। हर्ष की बहन राज्यश्री विंध्य की पहाड़ियों में चली गई थी। हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भीक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को उस समय ढूंढा जब वह आत्मदाह करने जा रही थी।

हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि की तथा गौड़ नरेश शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। हर्ष का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा के तट तक फैला था। पूर्व में गंजाम से वल्लवी तक फैला था। उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांत हर्ष के साम्राज्य में शामिल था। हर्ष का अंतिम युद्ध 643 ईस्वी गंजाम में लड़ा गया था।

हर्ष ने कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हर्ष ने चीनी नरेश ताई सॉन्ग के दरबार में अपना दूत भेजा था जिसके पश्चात तीन चीनी मंडल हर्ष के दरबार में आए थे। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात प्रयाग में धर्म महासम्मेलन का आयोजन करता था। हर्ष प्रारंभ में सूर्य तथा शिव की उपासना करता था किंतु बाद में उसने महायान धर्म को अपना लिया था।

### हर्ष की शासन व्यवस्था:

हर्षकालीन शासन व्यवस्था का आधार गुप्त काल के शासकों द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था ही थी। गुप्त शासकों के पतन के पश्चात हर्ष ने ना केवल भारत को एकता के सूत्र में बांधा वरन साम्राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुशल प्रशासन तंत्र को भी स्थापित किया। हर्ष का शासन जनहित के आदर्श से अनुप्राणित था। चीनी यात्री हेसांग ने भी हर्ष की एक आदर्श तथा लोगों का राशि के रूप में व्याख्या की है जहां वह मैं केवल स्वयं राज्य के भागों का दौरा करता था एवं समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करता था बल्कि उसके लिए समर्पित भी था। प्रयाग की महामोक्ष परिषद उसकी दानशीलता का महत्वपूर्ण प्रमाण थी।

**सम्राटः**

हर्ष काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। साम्राज्य का केंद्र बिंदु स्वयं सम्राट था। वह महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। हर्ष चरित्र में भी हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है। वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। सम्राट ही कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष, न्याय का प्रधान न्यायाधीश, सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था। शासन प्रबंध में राजा स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे अपने मंत्रियों की नियुक्ति करते थे आज्ञा पत्र तथा घोषणा पत्र निकालते थे प्रजा कल्याण के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करते थे। हेनसांग राजा के परिश्रम व उसकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करता था। हेनसांग के अनुसार हर्ष का दिन तीन भागों में विभक्त था एक भाग शासन संबंधी मामलों में व्यतीत तथा दो अन्य भाग धार्मिक कार्यों में व्यतीत होते थे। महाराजा हर्ष अर्थशास्त्र में उल्लेखित आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयास करते थे।

**मंत्री परिषदः**

शासन कार्य में राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अमात्य अथवा सचिव कहा जाता था। मंत्री परिषद का प्रधान सचिव भंडी होता था। उत्तराधिकार जैसे विषयों पर भी मंत्री परिषद की राय महत्वपूर्ण होती थी विदेश सचिव अवन्ती था जिसे महासंधिविग्राहिक कहा गया है। युद्ध तथा शांति की घोषणा इसी के द्वारा की जाती थी। कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान अधिकारी था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानीय गवर्नर होता था। हर्ष काल में मंत्रियों का वेतन नगद नहीं दिया जाता था उन्हें भूखंड दिए जाते थे।

**सामंतः**

हर्षवर्धन के अधीन जो शासक होते थे वे महासामंत कहलाते थे। जिनका प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान था। वाण के अनुसार हर्ष काल में विभिन्न सामंत थे, जैसे सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत, प्रति सामंत आदि। यह सामंत समय-समय पर दरबार में उपस्थित होता थे। प्रत्येक सामंत युद्ध के समय अपनी अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां भेजते थे जिससे विशाल सेना का निर्माण होता था।

**प्रशासनिक विभागः**—हर्ष का साम्राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए कई भागों में बंटा हुआ था। जो कि निम्न है—

**भुक्तिः**— भुक्ति अर्थात् प्रांत अथवा देश। भुक्ति का प्रधान गुप्ता, राजस्थानीय अथवा उपरिक कहलाता था। सम्राट स्वयं इसकी नियुक्ति करता था जो अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करता था। अधिकांश भुक्ति राजकुमार होते थे।

**विषयः**— जिले अथवा जनपद विभिन्न विषय मिलकर भुक्ति का निर्माण करते थे। जिसका प्रमुख अधिकारी विषय पति होता था।

**पाठकः**— यह विषय के ही भाग थे। हर्ष कालीन पाठक वर्तमान तहसील के बराबर होते थे।

**ग्रामः**— यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम अधिकारी को ग्रामक्षपटलिक कहा जाता था हर्ष चरित्र में लेखहरक का भी उल्लेख मिलता है जो कि संदेशवाहक का काम करता था। हर्षवर्धन का शासन पूर्णतया ईमानदारी से ही चलता था।

**राजस्व विभागः**

हर्ष का प्रशासन बहुत ही उदार तथा नरम था। भूमिकर राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था। साम्राज्य में बहुत ही कम कर लिए जाते थे। हर्ष काल में केवल तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है जिनमें भाग हिरण्य तथा बली है। भाग

किसानों से उनकी पैदावार का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था जो कि व्यापारियों द्वारा लिया जाता था। बली कर संभवत एक धार्मिक कर था। इसके अतिरिक्त खनिज कर अर्थदंड व्यापार कर चुंगी कर आदि से भी सरकार को आय होती थी। सभी कर प्रजा की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगाए जाते थे। राजकीय भूमि से जो आमदनी प्राप्त होती थी। आयात कर भी बहुत कम लिया जाता था। उसका एक बहुत बड़ा भाग दान पुण्य, विद्वानों को पुरस्कार देने तथा धार्मिक कार्य में खर्च होता था।

#### न्याय विधान:

हर्ष के समय का न्याय विधान गुप्त काल की अपेक्षा अधिक कठोर था। राजद्रोही को आजीवन कारावास दिया जाता था। नैतिकता के विरुद्ध अपराध करने पर नाक, कान, हाथ, पैर काट दिए जाते थे। अग्नि, जल, विष आदि द्वारा भी परीक्षाएं ली जाती थी। कभी-कभी अपराधियों को देश से भी निकाल दिया जाता था। अपराधों की जांच करने के बाद ही दंड दिया जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार हर्ष अपराधियों का दंड क्षमा भी कर देता था।

#### पुलिस तथा गुप्तचर विभाग:

हर्ष के समय में प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस कार्य करती थी। जनता को डाकूओं का भय था। हेनसांग भी यात्रा करते समय कई बार लूट लिया गया था। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग गुप्तचर विभाग भी था। जिसका प्रमुख कार्य सेना की सहायता करना था।

#### सेना प्रबंध:

हर्षवर्धन के पास एक विशाल सेना थी। हर्ष रणभूमि में अपनी सेना के साथ उपस्थित होता था। हर्ष की सेना की संख्या 600000 थी। हर्ष के समय चतुरंगीनी सेना (पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा रथ) सैन्य संचालन का प्रमुख अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। हर्ष की सेना में 60000 हाथी तथा एक लाख घुड़सवार थे। सेना में कुछ अस्थायी सैनिक भी होते थे। जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता था। सैनिक अभियान में सामंत भी भाग लेते थे। सेना का प्रमुख प्रधान राजा ही होता था। सेना के प्रत्येक भाग का सेनापति अलग-अलग होता था। सिपाही बड़े दक्ष थे तथा उनके पास से युद्ध का सब सामान रहता था। सेना की सामग्रियों की सुरक्षा का अलग विभाग होता था जिसका प्रधान रणभांडागाराधीकरण होता था।

#### निष्कर्ष:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समय हर्ष सिंहासन पर आसीन हुआ वह अल्पायु था तथा विभिन्न विपत्तियों से घिरा हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, ग्रहवर्मा की हत्या, राजश्री का वैधव्य, अग्रज राज्यवर्धन की हत्या, घोड़ों के आक्रमण का खतरा शशांक के आक्रमण की आशंका आदि ने हर्ष के लिए एक विकट व प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी किंतु हर्ष ने धैर्य साहस एवं योग्यता का परिचय देते हुए ना केवल अपने पैतृक राज्य की रक्षा की अपितु उसे विस्तृत साम्राज्य के रूप में परिवर्तित एवं प्रतिष्ठित भी किया। यद्यपि हर्ष ने गुप्त की शासन प्रणाली का अनुसरण किया प्रशासन प्रतिभा एवं जनसामान्य के हित व कल्याण के लिए उसका समर्पण हर्ष की महानता के प्रतीक है।

**संदर्भ:**

- [1]. अग्रवाल, वा. श., कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणासी, 1958
- [2]. चटर्जी, गौरीशंकर., हर्षवर्द्धन, हिन्दी, द्वितीय संस्करण इलाहाबाद, 1950
- [3]. मिश्र, जयशंकर ,प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास ,प्रथम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- [4]. मुखर्जी. आर. के., हर्ष लन्दन, 1906
- [5]. थापर रोमिला, भारत का इतिहास, नई दिल्ली, प्रथम हिन्दी संस्करण, 1975
- [6]. त्रपाठी आर. एस. हिस्ट्री ऑफ कन्नौज बनारस 1937
- [7]. बाणभट्ट, कादम्बरी,सम्पा., पुर्व मुम्बई ,1896
- [8]. पाण्डे गोविन्दचन्द्र, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास उत्तर प्रदेश संस्थान लखनऊ, 1999